संख्या: 19/2022/2299/छप्पन-2021-18/02 टी.सी.

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ : दिनांक: 07 मार्च, 2022

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित जनपद श्रावस्ती नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट पर मिट्टी भराई हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 379/आर0सी0एस0-2021-एस-2/2018 दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट पर मिट्टी भराई के कार्य हेतु रू0 430.08 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए पूर्व अनुमोदित आगणन रू0 2045.62 लाख (रूपये बीस करोड़ पैतालिस लाख बासठ हजार मात्र) को पुनरीक्षित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त पत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये मिट्टी भराई के कार्य सम्बन्धी आगणन रू0 430.08 लाख को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 425.82 लाख (रूपये चार करोड़ पचीस लाख बयासी हजार मात्र) की लागत पर मूल्यांकित किया गया है। इस प्रकार पूर्व अनुमोदित आगणन रू0 2045.62 लाख (रूपये बीस करोड़ पैतालिस लाख बासठ हजार मात्र) में उक्त मूल्यांकित लागत को सम्मलित करते हुए वर्तमान में पूर्व अनुमोदित आगणन को रू0 2471.44 लाख (रूपये चौबीस करोड़ एकहत्तर लाख चौवालिस हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित किए जाने का प्रस्ताव है।

3- जनपद श्रावस्ती में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-84/2018/1493/ छप्पन-2018-18/02 टी0सी0 दिनांक 14 अगस्त, 2018 द्वारा रू0 2097.47 लाख + जी0एस0टी0 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। निविदा के आधार पर उक्त एयरपोर्ट की उक्त लागत रू0 2097.47 लाख + जी0एस0टी0 का पुनरीक्षण करते हुए शासनादेश संख्या- 96/2019/2088/छप्पन-2019-18/02 टी0सी0 दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा जी0एस0टी0 सहित रू0 2045.62 लाख (रूपये बीस करोड़ पैतालिस लाख बासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके सापेक्ष अद्यतन रू0 1943.34 लाख (रूपये 19 करोड़ तैतालिस लाख चौतिस हजार मात्र) की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदित आगणन जी0एस0टी0 सहित रू0 2045.62 लाख (रूपये बीस करोड़ पैतालिस लाख बासठ हजार मात्र) को मिट्टी भराई के कार्य से सम्बन्धित धनराशि रू0 425.82 लाख (रूपये चार करोड़ पचीस लाख बयासी हजार मात्र) को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में रु0 2471.44 लाख (रूपए चौबीस करोड़ इकहत्तर लाख चौवालिस हजार मात्र) की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय स्वीकृति एवं मिट्टी भराई के कार्य हेतु रू0 425.82 लाख (रूपये चार करोड़ पचीस लाख बयासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्य हेतु रू0 404.257 (रूपए चार करोड़ चार लाख पचीस हजार सात सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/10-2021-231/ 2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में विहित नियमों के आलोक में प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति/व्यय किया जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन अपने प्रस्ताव पर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
3. वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।
5. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा | वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।
6. प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अनुसार कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।
7. कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।
8. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जाएगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
11. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
13. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
14. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
15. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।
16. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
17. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
18. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 में इंगित नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7-3497/दस-2021-22, दिनांक 07 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्याः 19/2022/2299(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन, लखनऊ/श्रावस्ती।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी, श्रावस्ती ।

(6) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।